गुजरात और महाराष्ट्र में व्यावसायिक संस्थाएं

5697A श्री कनक सिंह मोहन सिंह **मंगरोला:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय गुजरात तथा महाराष्ट्र के विशेषतया जनजातीय क्षेत्रों में कितनी व्यावसायिक संस्थाएं कार्यरत हैं;

(ख) उक्त संस्थाओं में कितने छात्र पंजीकृत हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा हेतु इन राज्यों को कितनी राशि उपलब्ध कराई;

(घ) क्या इन राज्यों में कुछ और व्यावसायिक संस्थाएं खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कु० सैलजा): (क) और (ख) + 2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत व्यावसायिक संस्थानों/विद्यालयों की संख्या तथा इन संस्थानों में छात्रों की संख्या निम्नवत है:—

	संस्थानों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की संख्या
गुजरात	40	1500
महाराष्ट्र	47	4771

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों को व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रदान की गई राशि निम्नवत है:—

(रु० लाखों में)

	1992-93	1993-94	1994-95
गुजरात	1070.736	781.73	शून्य
महाराष्ट्र	2195.33	2035.74	2449.687

(घ) से (च) व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में विस्तार करने के लिए विचार राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1995-96 के लिए गुजरात तथा महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

युवा क्लबों और नेहरू युवा केन्द्रों को सरकारी सहायता

5698. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार युवा क्लबों और नेहरू युवा केन्द्रों को सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्य-वार कितने क्लबों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;,

(ग) क्या सरकार ने इन क्लबों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या-क्या परिणाम रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिये)

(ग) और (घ) युवा क्लबों के कार्य की समीक्षा नेहरू युवा केन्द्र संगठन के शीघ्र अध्ययन के एक अंग के रूप में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा की गई थी। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने अपनी मार्च, 1991 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि युवा क्लब सक्रिय स्वैच्छिक संगठन रहे हैं। उनके द्वारा चलाए गए सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप खेल कूद रहे हैं, तत्पश्चात् मनोरंजन एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप, जनता में जागरूकता उत्पन्न करना, सामाजिक सेवा, परिसंपत्तियों का सृजन तथा कार्यशिविरों का आयोजन रहा।

विवरण

युवा क्लबों तथा नेहरू युवा केन्द्रों को सरकारी सहायता

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	युवा क्लबों की संख्या जिनकी सहायता की गई			स्वीकृत राशि		
		1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-95	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	114	45	51	2.28	2.25	2.55
2.	असम	22	10	28	0.44	0.50	1.40
3.	बिहार	4	7	8	0.08	0.35	0.40
4.	गुजरात	9	8	15	0.18	0.40	0.75
5.	हरियाणा	36	39	121	9.72	1.95	6.05
6.	हिमाचाल प्रदेश	30	28	45	0.60	1.40	2.25
7.	जम्मू और कश्मीर	—	1	1	—	0.05	0.05
8.	कर्नाटक	23	36	79	0.46	1.80	3.95
9.	केरल	67	40	69	1.34	2.00	3.45
10.	मध्य प्रदेश	28	42	55	0.56	2.10	2.75
11.	महाराष्ट्र	66	91	93	1.32	4.55	4.65
12.	मणिपुर	7	26	19	0.14	1.30	0.95
13.	नागालैंड	1	—	—	9.02	—	—
14.	उड़ीसा	79	28	29	1.58	1.40	1.45
15.	पंजाब	—	1	2	—	0.05	0.10
16.	राजस्थान	19	26	41	0.38	1.30	2.05
17.	तमिलनाडु	33	21	56	0.66	1.05	2.80
18.	त्रिपुरा	1	6	8	0.02	0.30	3.40
19.	उत्तर प्रदेश	44	53	163	0.88	2.65	8.15
20.	पश्चिम बंगाल	37	20	47	0.74	1.00	2.35
21.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	1	1	—	0.05	0.05
22.	दिल्ली	—	3	3	—	0.15	0.15
	कुल	620	532	934	12.40	26.60	46.70

टिप्पणी: 1992-93 के दौरान प्रति क्लब स्वीकृत की गई राशि 2,000/- रुपये थी जबकि 1993-94 एवं 1994-95 में यह राशि 5,000/- रुपये प्रति क्लब थी।